भूपेश कैबिनेट का फैसला: जल जीवन मिशन के सभी टेंडर निरस्त

नए सिरे से जारी किए जाएंगे टेंडर

रायपुर, (एजेंसी)। जल जीवन मिशन के ठेके में गड़बड़ी की शिकायत के बाद भूपेश सरकार ने सभी टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास में भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अब आगे नए सिरे से टेंडर जारी किया जाएगा। जल जीवन मिशन के ठेके में गड़बड़ी की हजारों करोड़ रुपए की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश से की गई थी। बघेल ने चीफ सेक्रेटरी आर पी मंडल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था।

दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के जल जीवन मिशन में दूसरे प्रदेश के ठेकेदारों को काम देने, स्थानीय ठेकेदारों की उपेक्षा के मुद्दे और इसमें गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत की थी। बता दें कि पीएचई विभाग के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के घरों में वर्ष 2024 तक पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में जल जीवन मिशन में लगभग 7 हजार करोड़ रुपए के कार्यों के आबंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री से की गई शिकायत में यह बताया कि करीब छह हजार करोड़ का ठेका राज्य के बाहर की चुनिंदा कंपनियों को दे दिया गया। मैदानी इलाकों का बड़ा काम इन कंपनियों के हिस्से गया, वहीं स्थानीय ठेकेदारों को बस्तर के दुर्गम नक्सप्रभावित इलाकों के छोटे काम दिए गए। शिकायत में यह कहा गया है कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार और ठेके में स्थानीय लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होने का वादा किया था, लेकिन बाहरी कंपनियों को काम देने से स्थानीय ठेकेदार ठगा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं।

कृषि कानून के खिलाफ संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप को मंजूरी दे गई है। भूपेश सरकार अब संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश करेगी। दरअसल केंद्र सरकार की कृषि कानूनों का कांग्रेस सरकार विरोध कर रही है। इन्हीं कानूनों के खिलाफ सरकार विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश करेगी।

खरगोन में माता विसर्जन करने गए लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, 20 श्रद्धालु घायल

खरगोन, (एजेंसी)। जिले के भगवानपुरा विकासखंड के बहादरपुरा ग्राम में सोमवार को माता विसर्जन करने के दौरान मधुमक्खियों के हमले से 20 लोग घायल हो गए। मुकेश मालवीय ने बताया कि ग्रामीण नवदुर्गा की समाप्ति के उपरांत सोमवार को परंपरा अनुसार माता विसर्जन के लिए एक खेत के कुएं में गए थे।

घायलों में पांच लोग गंभीर

इसी दौरान मधुमक्खियों के हमला बोल देने से वहां अफरा तफरी मच गई। एक अन्य श्रद्धालु कीर्ति राठौर ने बताया कि मधुमक्खियों ने महिलाओं और पुरुषों के सिर, आंख, नाक, कान आदि स्थानों पर अपने डंक मारे। भगवानपुरा स्थित शासकीय अस्पताल के मेडिकल अधिकारी डॉ शिव बघेल ने बताया कि 5 महिलाओं समेत 20 श्रद्धालु इस हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से 5 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, शेष घायलों का उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जिला अस्पताल सूत्रों के अनुसार पांच घायलों में से एक घायल को इंदौर रेफर किया गया है।

इंदौर में कोरोना के 142 नए मामले, 33,459 कुल केस

इंदौर, (एजेंसी)। जिले में कोरोना के 142 नये मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढक़र 33459 हो गई है, हालाकि राहत की बात यह है कि अब तक 29440 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बुलेटिन जारी कर बताया कि रविवार को 4881 सैंपल की जांच की गयी, जिनमें 142 नये संक्रमित सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या कुल 33459 जा पहुंची है। दो रोगियों की मौत दर्ज होने के बाद अब तक 679 रोगियों की मृत्यु दर्ज की जा चुकी है। उधर राहत की खबर है कि अब तक कुल 29440 रोगी कोरोना मुक्त हो डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके बाद एक्टिव केस (उपचाररत रोगी) की संख्या 3340 है। इंदौर जिले में मध्यप्रदेश में प्रारंभ से ही सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं।

संक्रमण हुआ कम

यह जिला पिछले सात माह से कोरोना का प्रकोप झेल रहा है। फिलहाल राहत की खबर है कि जिले में हाल के दिनों में तुलनात्मक रूप से कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने सभी से पूरी तरह ऐहतियात बरतने का अनुरोध करते हुए कहा है कि नागरिक फेस मॉस्क अवश्य लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और निश्चित समय अंतराल के बाद साबुन से हाथ धोएं तथा सेनेटाइजर का भी उपयोग करें।

अब कृषि विभाग में मैदानी मशीनरी को दिवाली तोहफा

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त कार्य का भत्ता

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार की नजदीकी में राज्य सरकार किसी भी संवर्ग के कर्मचारी और अधिकारी को निराश नहीं करना चाह रही है। हाल ही में प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित एरियाज और अग्रिम त्योहार की राशि देने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था। अब प्रदेश के कृषि विभाग में मैदानी अधिकारी और कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कृषि अधिकारी पिछले करीब 4 साल से यह भत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग में अफसरों के अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कर्तव्य क्षेत्र में 10 से 15 गांव आते हैं। इन गांव के कार्य के अतिरिक्त अन्य केंद्र पर जिस में भी लगभग इतने ही गांव होते है। इन ग्रामों का अतिरिक्त कार्यभार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के कंधों पर ही है। इस कारण उस जगह पर कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो ऐसी दशा में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को एक केंद्र के अलावा अन्य एक केंद्र का कार्य करना पड़ता है। क्योंकि वहां पर सक्षम अधिकारी और कर्मचारी की पदस्थापना ही नहीं होती है। वर्तमान में ऐसे कई केंद्र है। जहां पर कोई कर्मचारी पदस्थ नहीं है। उसका कार्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अतिरिक्त कार्य के रूप में करता है। शासन द्वारा ऐसे अतिरिक्त कार्य के लिए भत्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है। जो अब तक नहीं किया गया था। लगातार 4 वर्ष के संघर्ष के बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ यह प्रयास कर रहा था। उस संघर्ष करने का परिणाम है अब सामने आया है। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर कर्मचारियों को यह अतिरिक्त भत्ता दिया गया है। यह अतिरिक्त भत्ता कर्मचारी को उसके अतिरिक्त दौड़ भाग का स्वरुप में दिया जा रहा है। यह 500 है। यह उसके सम्मान के लिए अति आवश्यकता था। वर्तमान में कई ग्रामीण कृषि विस्तार साथियों के पास दो से तीन केंद्रों का अतिरिक्त भार भी है। कहीं-कहीं पांच पांच केंद्रों का अतिरिक्त भार है।

दिवाली पर्व के बीच यह आदेश बड़ी राहत

भत्ते का आदेश पाकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर गिरी ने कहा है कि प्रदेश भर में अब उनके साथी संतुष्ट है। क्योंकि उसे कुछ सम्मान तो अर्जित हुआ। नहीं तो वह बंधुआ मजदूर की तरह लगातार कार्य कर रहा था। अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त भत्ता मिलने संबंधी आदेश जारी होते ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी साथियों द्वारा विभाग के मंत्री का इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है।

सड़क निर्माण कार्य मामले में इंजीनियर निलंबित, ठेकेदार पर जुर्माना

पत्थलगांव, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सड़क का घटिया निर्माण कार्य के मामले में कलेक्टर महादेव कांवरे ने सोमवार को मौके पर ही लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर इग्नेश को सस्पेंड कर दिया तथा हरे भरे पेडों की अवैध कटाई करवाने वाले ठेकेदार के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत 34 लाख रुपये का जुर्माना किया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कुनकुरी अनविभाग में लोक निर्माण विभाग ने चरईडांढ़ से दमेरा तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है। लगभग 15 करोड़ रुपये के इस निर्माण कार्य में नियमों की जगह जगह अनदेखी की गई है। यहां के ग्रामीणों की शिकायत पर संसदीय सचिव यूडी मिंज ने उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम से निर्माण कार्य की जांच करवाई थी। इस जांच में लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर मोहनलाल उरांव ने बगैर अनुमति के ही हरे भरे पेडों की बात स्वीकार की थी। इसके अलावा प्राक्कलन की अनदेखी कर ठेकेदार को भेजा लाभ पहुंचाने पर जांच करने के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की औपचारिकता बरतने पर कलेक्टर महादेव कांवरे ने मौके पर पहुंच कर अवलोकन किया था। इस दौरान व्यापक अनियमितता देख कर सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने बताया कि इस सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने बगैर अनुमति के 66 से अधिक हरे भरे पेडों की कटाई की गई है। इस मामले में वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वन विभाग ने दोषी ठेकेदार के विरुद्ध 34 लाख रुपये का जुर्माना कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

बंद खाते का चैक देकर कर लिया दो करोड़ की जमीन का सौदा

जबलपुर, (आरएनएन)। पनागर पुलिस द्वारा धोखाधडी से बंद खाते का चैक देकर 1 करोड, 92 लाख 50 हजार में जमीन क्रय करने का सौदा कर प्लाटिंग करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी पनागर आरके सोनी ने बताया कि संतकुमार पटैल(42) निवासी गाम मनियारीकला ने लिखित शिकायत में बताया कि उसकी एवं उसकी पत्नी सीता पटैल की भूमि मनियारीकला सरसवां में है।

धोखाधड़ी कर प्लाटिंग करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

उक्त भूमि के विक्रय करने का अनुबंध पत्र 55 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 14 जून को प्रतीक शुक्ला निवासी गली नम्बर 13, शिवाजीनगर ग्रीन सिटी माढ़ोताल से किया। उक्त भूमि के संबंध में मुख्तयारनामा प्रतीक शुक्ला के पक्ष में निष्पादित किया था। तीनों खसरों की भूमि 1 करोड़ 92 लाख 50 हजार रुपए मे विक्रय की थी। प्रतीक शुक्ला द्वारा विक्रय की राशि के परिप्रेक्ष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा खाता के 02 चैक जिसमें से एक चैक 1 करोड़ रुपए का एवं एक चैक 52 लाख 50 हजार रुपए का 14 जून को दिये गए थे, उक्त विक्रय राशि के दोनों चैक बैंक में जमा करने पर दोनों चैक उसे बिना भुगतान के बैंक द्वारा इस आधार पर वापस कर दिये गए कि चैक दाता प्रतीक शुक्ला का बैंक एकाउंट वर्ष 2018 से बंद हैं। प्रतीक शुक्ला द्वारा जानबूझकर बंद खाते के चैक जारी कर अनुबंध पत्र में उक्त चैकों का उल्लेख कर दस्तावेज तैयार किये गये थे, जो उक्त दस्तावेज के आधार पर उसकी भूमि हड़पना चाहता है। पुलिस द्वारा आरोपी प्रतीक शुक्ला एवं देवेन्द्र पटैल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोल टैंक में छुपाकर ले जाया जा रहा 26 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद

नीमच। जिले के कोटा-चितौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक पेट्रोल टैंक में छिपा कर ले जाया जा रहा 26 क्विंटल 37 किलो अवैध डोडा चुरा बरामद कर एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मध्यप्रदेश के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर प्रमोद सिंह ने बताया कि विभाग को गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर डीएनसी ऑफिस नीमच की निवारक शाखा के अधीक्षक आदित्य रंजन की अगुवाई में गठित दल ने कोटा-चितौड़गढ़ हाइवे पर बस्सी पुलिस थाने के दल के सहयोग से घेराबंदी की और वहां से गुजर रहे संदिग्ध पेट्रोल टैंकर को रोक कर तलाशी ली, जिसमें टैंकर में पेट्रोल के बजाए 132 बैग में भर कर रखा गया। 26 क्विंटल 37 किलो डोडा चुरा बरामद हुआ है, जिसे टैंकर सहित जब्त किया गया है। ट्रक चालक जोधपुर निवासी श्रवण सिंह को एडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर पूछताछ तथा कार्रवाई की जा रही है।

एक साथ 72 लोगों से बात करता था सरगना

हाईटेक आईपीएल सट्टा कांड: आरोपियों ने दिल्ली के टेक्निशियन्स के नाम बताए

इंदौर, (आरएनएन)। हाईटेक तरीके से आइपीएल मैच पर सट्टा खाते एसटीएफ की पकड़ में आए जयवंत लंके और जयेश लंके से रिमांड के दौरान पूछताछ चल रही है। सरगना मल्टी फ्लेक्सर की मदद से एक साथ 72 लोगों से बात करता था। यहां जब्त रिकॉर्ड में सटोरियों के नाम कोडवर्ड में लिखे हुए हैं। पुलिस डी-कोड कर उनकी भी तलाश में जुटी है। अर्पित कुक्षी का नाम आरोपितों ने कबूल दिया है।

एसटीएफ एसपी मनीष खत्री के मुताबिक जयवंत व जयेश को शुक्रवार रात निरंजनपुर व उषानगर से साथी श्रवण मीणा, विवेक जैन, केशव त्रिवाठी, हर्ष माहेश्वरी, सोनाली लंके और अमन जैन के साथ पकड़ा था। आरोपितों से 15 लाख कैश व 40 मोबाइल, लेपटॉप मिले थे। जब पूछताछ की तो बताया उन्होंने एक मल्टी प्लेक्सर (बाक्स) को मिनी टेलीफोन एक्सचेंज बना लिया था। उसमें एक साथ 18 मोबाइल पर कॉल लग जाते थे। एक मोबाइल पर वह चार व्यक्तियों से बात कर सकता था। सटोरिए इस मल्टी प्लेक्सर को पेटी बोलते हैं। जयवंत ने बताया पेटी दिल्ली व मुंबई में मिलती है। एसपी के मुताबिक आरोपितों के पास रेस सॉफ्टवेयर भी था। जिसमें सट्टे का हिसाब व रिकार्डिंग रहती थी। इसकी जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। वहां से देश के बड़े सटोरियों के नामों का खुलासा हो सकता है।

बेटी की फर्म में करते थे निवेश

एसपी के अनुसार जयवंत ने बेटी वैदेही के नाम से वैदेही इंटरप्राइजेस नाम की फर्म खोल रखी है। जिसमें सट्टे से आने वाली रकम को अलग-अलग लोगों के नाम से दर्शाकर काली कमाई को सफेद करता था। पुलिस फर्म की बैंक डिटेल भी खंगाल रही है।

आगरा से कोरियर में आ रहीं थीं नशीली गोलियां

मेडिकल संचालक सहित दो गिरफ्तार

इंदौर। प्रतिबंधित नशीली गोलियां (अल्प्राजोलम) बेचने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने मेडिकल संचालक और आटो चालक को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ खजराना पुलिस ने कार्रवाई की है। एएसपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक, सूचना मिली थी कि महेश बाग कॉलोनी निवासी रिक्शा चालक लखन पिता अर्जुन ठाकुर प्रतिबंधित नशीली गोलियां बेच रहा है। शनिवार रात टीम ने दबिश देकर आरोपित को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि गोलियां साई मेडिकल स्टोर का संचालक राहुल जाट सप्लाई करता है।

पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया तो बताया कि उसने आगरा (उप्र) के तस्करों को आर्डर देकर गोलियां मंगवाई हैं। ऑनलाइन रुपये जमा करवाने पर तस्कर कोरियर से पार्सल भेज देते हैं। यहां से अर्जुन अन्य आटो चालकों, असामाजिक तत्वों को बेचता थे। पुलिस ने इनके पास से 700 से ज्यादा गोलियां बरामद की हैं। खजराना थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

हादसे में एक की मौत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में सोमवार को दो वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार रैबार गांव के पास रायगढ़ सारंगढ़ मार्ग पर हुए इस हादसे में घायल हुए लोगों को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत व्यक्ति की पहचान तिलकराम पटेल के रूप में हुई है।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

निविदा सं०- JHSW-MNP-20-09 दिनांक- 19.10.2020

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मुख्य कारखाना प्रबंधक बैगन रिपेयर झाँसी, उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा बैगन रिपेयर कारखाना झाँसी में निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन (ई-टेण्डर) आमंत्रित करते है।

कार्य का नाम	निविदा संख्या	अनुमानित लागत
बैगन मरम्मत कारखाना झाँसी में स्थित यूनिवर्सल एक्सल जर्नल टर्निंग एंड वर्निशिंग लेथ (AJTB) प्लांट नं. 930 की व्यापक एएमसी।	JHSW-MNP -20-09	₹42,56,850/- (रूपये ब्यालिस लाख छप्पन हजार आठ सौ पचास केवल)

धरोहर धनराशि - ₹85,100/- (रूपये पिच्चासी हजार एक सौ केवल), कार्य पूर्ण होने की अवधि - 03 वर्ष, निविदा बंद होने की तिथि - 23.11.2020 समय 15:00 बजे।

• निविदा दिनांक 23/11/2020 को 15:00 बजे बन्द होगी एवं भारतीय रेलवे की ई-टेंडर वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। • निविदा की सम्पूर्ण जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की ई-टेंडर वेबसाइट www.ireps.gov.in को देंखे। 1107/20 (SP)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, संभाग क्रमांक-01, भोपाल
फोन : 0755-4222322, ई-मेल : mpphc.bhopal@yahoo.com
Mobile : 9425601532
क्र.-म.प्र.पु.आ. एवं अ.वि.नि/663/पयं/भोपाल-1/तशा/2020
भोपाल, दिनांक : 23.10.2020

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग क्रमांक-01, भोपाल द्वारा थाना गांधीनगर भोपाल के प्रशासकीय भवन की पुताई, वाटर प्रूफिंग, सीवर लाइन एवं मरम्मत कार्य हेतु निविदा क्रमांक 16/2020-21 ऑनलाइन TENDER ID No. : 2020_MPPHC_112145_1 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 03.11.2020 समय 5.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते है। निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/98780/2020 **परियोजना यंत्री**

एमपीडीएल लिमिटेड

(पूर्व में बतौर मोनेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स लिमिटेड ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: 216, सेक्टर-सी, उर्जा इंडस्ट्रीयल काम्प्लेक्स, रायपुर -493221 (छत्तीसगढ)
कार्पोरेट कार्यालय: यूनिट नं. 12, जीएफ, मैग्नम टॉवर-1, सेक्टर-58, गुरूग्राम, हरियाणा-122011 (भारत)
दूरभाष :+91 11 29218542-46: फैक्स : +91 11 29218541
ईमेल : isc_mpdl@monnetgroup.com, वेबसाइट: www. monnetgroup.com
सीआईएन -एल70102सीटी2002पीएलसी015040

18वीं वार्षिक सामान्य बैठक, लेखाबंदी एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

इस एतद् सूचना द्वारा जैसा कि सूचना में दर्शाया गया है व्यापारिक प्रबंधन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अदर ऑडियो विज्यूअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से **मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020 को दोपहर 02.30 बजे** कम्पनी के सदस्यों की 18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित की गई है। कोविड-19 महामारी की निरंतरता को दृष्टिगत रखते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिनॉक 5 मई, 2020, सपठित दिनॉक 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल 2020 (सामूहिक रूप से बतौर 'एमसीए सर्कुलर्स' संदर्भित) एवं सेबी सर्कुलर दिनॉक 12 मई, 2020 के अनुसार एक निश्चित स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के आवश्यकता के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इन सर्कुलर्स के अनुसार एवं कंपनीज एक्ट, 2013 एवं सेबी (सूचीबद्धन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियम 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होगी।

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित एजीएम की सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिनका ईमेल एड्रेस कंपनी या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट / डिपोजटरीज के पास 16 अक्टूबर, 2020 तक पंजीकृत होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.monnetgroup.com एवं बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कंपनी ने 26 अक्टूबर, 2020 को शेयरधारकों को केवल ई-मेल के माध्यम से एजीएम एवं वार्षिक रिपोर्ट की सूचना प्रेषित कर दी है।

सदस्य एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ही शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना मं उपलब्ध कराये जायेंगे। कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम की संख्या पूर्ण होने के उद्देश्य से सदस्यों की गणना होगी।

कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट देने हेतु अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही, कंपनी एजीएम ("ई-वोटिंग") के दौरान भी ई-वोटिंग के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करायेगी। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना उपलब्ध कराई गई है।

रिमोट ई-वोटिंग समयावधि को शनिवार, 14 नवम्बर, 2020 को प्रात: 9.00 बजे प्रारंभ किया जावेगा एवं सोमवार, 16 नवम्बर, 2020 को सायं 5.00 बजे बंद किया जावेगा।

उस स्थिति में जब सदस्य(यों) ने कंपनी/डिपोजिटरी के पास अपना ई-मेल एड्रेस पंजीकृत नहीं कराया हो, उनसे निवेदन है कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 एवं ई-वोटिंग के लिये लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिये अपना ई-मेल एड्रेस पंजीकृत करने हेतु कृपया निम्न दर्शाये निर्देशों का अनुगमन करें।

1. भौतिक शेयरधारकों के लिये: कंपनी को ई-मेल / आरटीए ईमेल आईडी द्वारा कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई प्रतिलिपि (सामने एवं पीछे की), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रतिलिपि) प्रेषित करें।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिये: कंपनी को ई-मेल / आरटीए ईमेल आईडी द्वारा कृपया डीमैट विवरण जैसे (सीडीएसएल-16 अंकों को बेनेफिशरी आईडी या एनएसडीएल-8 अंकों डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या कंसोलिटेड एकाउंट स्टेटमेंट की प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रतिलिपि) प्रेषित करें।

कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स एवं शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 10 नवंबर, 2020 से मंगलवार 17 नवंबर, 2020 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

पारदर्शी तरीके एवं निष्पक्ष रूप में रिमोट ई-वोटिंग एवं वोटिंग को आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में मे.संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स के भागीदार श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (सीपी नं. 13700), उनकी अनुपस्थिति में मे. संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स की भागीदार कु. प्रियंका (सीपी नं. 16187) पता बी-88, प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किया गया है।

सदस्यों से निवेदन है कि वे एजीएम सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढे। किसी शंका के समाधान के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेअरहोल्डर्स के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मेन्यूअल एवं ' फ्रीक्यून्टली आस्क्ड कोश्चन (एफएक्यू एस)' का संदर्भ देखे या संपर्क करें श्री प्रतीक भट्ट, एनएसडीएल से pratikb@nsdl.co.in एवं evoting@nsdl.co.in पर ईमेल द्वारा या टोल फ्री नं.:1800-222-990 पर या श्री अमरजीत, सीनियर मैनेजर,एमसीएस शेअर ट्रांसफर एजेन्ट लि. से admin@mcsregistrars.com पर ईमेल द्वारा या दूरभाष नं.011-41406149 पर संपर्क कर सकते है।

ऐसे सदस्य जिनके ईमेल एड्रेस पंजीकृत नहीं हुए है तथा जो इस लाभांश के प्रत्याशी है एवं इसलिए वे अपना ईमेल एड्रेस को आद्यतन करना चाहते है तथा इलेक्ट्रानिकली सभी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, ऐसे सदस्यों से निवेदन है कि हरित पहल को समर्थन प्रदान करने हेतु उनके संबंधित डीपी (इलेक्ट्रानिक होल्डिंग के लिए) पर या एमसीएस शेअर ट्रांसफर एजेन्ट लि./कम्पनी (भौतिक दस्तावेज के लिए) से संपर्क करें।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार
एमपीडीएल लिमिटेड
(पूर्व में, मोनेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स लिमिटेड)
हस्ता/-
अनुराग सिंह राठौर
कंपनी सेक्रेटरी

तिथि: 26.10.2020
स्थान :- नई दिल्ली

मोनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 216, सेक्टर-सी, उर्जा इंडस्ट्रीयल काम्प्लेक्स, रायपुर -493221 (छत्तीसगढ)
कार्पोरेट कार्यालय: मोनेट हाउस, 11,मस्जिद मोथ, ग्रेटर कैलाश -II, नई दिल्ली-110048 (भारत)
दूरभाष :+91 11 29218542-46: फैक्स : +91 11 29218541
ईमेल : isc_mind@monnetgroup.com, वेबसाइट: www. monnetgroup.com
सीआईएन -एल51103सीटी1982 पीएलसी009717

37वीं वार्षिक सामान्य बैठक, लेखाबंदी एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

इस एतद् सूचना द्वारा जैसा कि सूचना में दर्शाया गया है व्यापारिक प्रबंधन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अदर ऑडियो विज्यूअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से **मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020 को दोपहर 12.30 बजे** कम्पनी के सदस्यों की 37 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित की गई है। कोविड-19 महामारी की निरंतरता को दृष्टिगत रखते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिनॉक 5 मई, 2020, सपठित दिनॉक 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल 2020 (सामूहिक रूप से बतौर 'एमसीए सर्कुलर्स' संदर्भित) एवं सेबी सर्कुलर दिनॉक 12 मई, 2020 के अनुसार एक निश्चित स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के आवश्यकता के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इन सर्कुलर्स के अनुसार एवं कंपनीज एक्ट, 2013 एवं सेबी (सूचीबद्धन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियम 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होगी।

उपरोक्त सर्कुलर्स के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित एजीएम की सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिनका ईमेल एड्रेस कंपनी या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट / डिपोजटरीज के पास 16 अक्टूबर, 2020 तक पंजीकृत होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.monnetgroup.com एवं बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कंपनी ने 26 अक्टूबर, 2020 को शेयरधारकों को केवल ई-मेल के माध्यम से एजीएम एवं वार्षिक रिपोर्ट की सूचना प्रेषित कर दी है।

सदस्य एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ही शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना मं उपलब्ध कराये जायेंगे। कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम की संख्या पूर्ण होने के उद्देश्य से सदस्यों की गणना होगी।

कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट देने हेतु अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही, कंपनी एजीएम ("ई-वोटिंग") के दौरान भी ई-वोटिंग के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करायेगी। रिम